न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 11/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. भैरू आत्मज घीसा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. उदा आत्मज श्रीराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उकारसिंह आत्मज देवीसिंह राजपुत निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत आशाहोली बजरिये सरपंच पुष्पादेवी पत्नि हस्तीमल जैन निवासी आशाहोली

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.03.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 564/1 रकबा 0.53 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों और सीमाओ के मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थी को कास्त करने काश्त लाभ प्राप्त करने घास आदी काटने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संमधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 14.01.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.19 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 17.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 564/1 रकबा 0.53 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/– अक्षरे तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा